माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा

——निगरानी क्र0

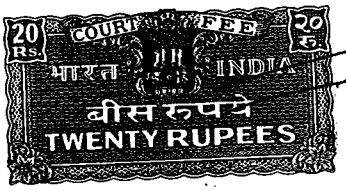

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201 —

702
7.10.14

R -3777-III/14

श्री राजेन्द्र प्रसाद तनय श्री काशी प्रसाद ब्राम्हण उम्र 55 वर्ष साकिन रामस्थान तह. रघुराजनगर जिला–सतना (म0प्र0)

——आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 राज्य शासन द्वारा जिला अध्यक्ष सतना जिला–सतना (म0प्र0)

——अनावेदक/निगरानीकर्ता

श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव एड. के द्वारा आज दिनांक 7-10-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3481
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 राजस्व प्रकरण क्र. 158– 8/पुर्नावलोकन 08–09 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 दिनांक 12.08.2014

मान्यवर,

विनम्रता पूर्वक संक्षेप में वाक्यात प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

1. यह कि आवेदक के नाम खसरा नं. 548/4 क रकवा 4.00 एकड़ का राजस्व प्रकरण क्र. 20 अ/19 वर्ष 80 81 में तहसीलदार रघुराजनगर जिला–सतना द्वारा दिनांक 22.10.1981 व्यवस्थापन आदेश विधिवत् कार्यवाही के पश्चात् नियमानुसार पारित हुआ और पट्टा आवेदक को भू–स्वामी का प्रदान किया गया।
2. यह कि हल्का पटवारी द्वारा आवेदक को तहसीलदार रघुराजनगर के आदेश के पालन में ऋण पुस्तिका क्र.2305 दिनांक 03.02.1983 को तैयार

राजेन्द्र प्रसाद

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3779-3777 ...... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री संजय श्रीवास्तव उप० आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 158/पुनर्विलोकन/08-09 आदेश दिनांक 12-8-14 एवं 159/पुन०/08-09 आदेश दिनांक 12-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदकों के नाम रा०प्र०क्रमांक-19/अ-19/80-81 एवं रा०प्र०क० 20/अ-19/80-81 आदेश दिनांक 22-10-81 से ग्राम-बम्होरी के भूमि सर्वे क्रमांक 548/4 रकबा 1.618 है० का व्यवस्थापन तहसीलदार द्वारा आवेदक को किया गया था जिसे तहसीलदार रघुराज नगर द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश (रिव्यू) परमीशन लिये खारिज कर दिया। वहीं अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी बिना अभिलेख मंगाये एवं बिना अभिलेख देखे पट्टा निरस्त माना। तहसीलदार रघुराज नगर को अपना आदेश बिना पुनरावलोकन की अनुमति के बिना निरस्त करने का अधिकार नहीं था। इन तथ्यों की ओर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा के समक्ष उनका ध्यान आकर्षित कराया गया किन्तु सक्षम अधिकारियों द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक -24-4-09 में उठाये गये तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। आवेदक अभि० द्वारा व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 19/अ-19/80-81 एवं 20/अ-19/80-81 आदेश दिनांक 22-10-81 की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा आवेदकों को व्यवस्थापन किया गया है।	

[कृ. प. उ.

R-3772/3229/II/14 ~~निगरानी~~

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में सम्पूर्ण प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 12-8-14 में अंकित किया गया है कि "प्रश्नाधीन भूमि 78-79 तक शासकीय दर्ज थी वर्ष 80-81 में आवेदक के नाम किसके आदेश से दर्ज हुई इसका हवाला नहीं दिया गया है" जबकि आवेदक द्वारा व्यवस्थापन आदेश दिनांक 22-10-81 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रकरण में विद्यमान परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में उपलब्ध बिन्दुओं का परीक्षण कर आदेश दिनांक 24-8-09 एवं 12-8-14 पारित नहीं किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त का उक्त आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आप इस तथ्य की जांच करें कि तहसीलदार रघुराजनगर ने अपना आदेश दिनांक 22-10-81 बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के रिव्यू पुनर्विलोकन के किन कारणों से निरस्त किया जबकि विधि अनुसार अनुविभागीय अधिकारी से रिव्यू अनुमति के बाद निरस्ती की कार्यवाही करना चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का अभिलेख मंगाया जाकर अवलोकन किए बगैर प्रकरण में आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है आदेश में उल्लेखित अधीनस्थ न्यायालय का व्यवस्थापन प्रकरण मंगाये जाकर संहिता में निहित प्रावधानों के क्रम में नीतिगत आदेश पारित करें। सदस्य	

31/8/15